

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीवसीन अधिकारी कैम्प कॉर्ड) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रा.डि.न.

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

--: आदेश :-

प्र0सं0 :- 320 /2021
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का प्रा.डि.न. भू अ0नि0 वृत्त नीमरा.6 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा आडाना तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2026 के खाता संख्या 418, 37, 38, 306 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>जाडाना</u>	<u>418</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>
		<u>37</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>
		<u>38</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>
		<u>306</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>
		<u>239</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>	<u>वामाडिलपुत्रा पुत्र लक्ष्मण</u>



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड राशमी)

क्रमांक: सरिस्ता/5-11(320)2021 दिनांक :- 21/11/2021

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री दिनीप कुमार पुत्र लक्ष्मण को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड राशमी)

प्रा.डि.न.